

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या – 2131/2013/चित्तोडगढ

वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वृत्त-चित्तोड।

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लि०  
चित्तोडगढ

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री बी. के. मीणा – अध्यक्ष

श्री ईश्वरी लाल वर्मा – सदस्य

**उपस्थित : :**

श्री आर के अजमेरा  
उप-राजकीय अभिभाषक  
श्री वी. सी. सोगानी,  
अभिभाषक

अपीलार्थी विभाग की ओर से.


प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 05/08/2015**

निर्णय

यह अपील राजस्व विभाग द्वारा अतिरिक्त आयुक्त अपीलीय प्राधिकारी वाणिज्यिक कर, उदयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 50/वेट/ 2012-13/चित्तोडगढ में पारित आदेश दिनांक 13.08.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-चित्तोडगढ (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा गया है) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे वेट अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 61(2)(ए) के तहत नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक 20.09.2012 को पारित किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी, आरएसईबी की हाईटेन्शन लाईन का रखरखाव व निर्माण संबंधि संविदा का कार्य करता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी के वर्ष 2009-10 के लिये रू० 927215/- का इन्पुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया गया। जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह कहते हुये अस्वीकार कर दिया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आईटीसी के सत्यापन हेतु कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी ने रू० 927215/- के आईटीसी क्लेम को अस्वीकार करते हुये प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष गलत तरीकें से आगत कर का दावा करने पर वेट अधिनियम की धारा 61(2) (बी) के तहत आगत कर की चार गुणा रू० 37,08,860/- की शास्ति का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में व्यवहारी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर रू० 927215/- आईटीसी क्लेम को गलत मानते हुये अस्वीकार किया गया तथा इस

  
5.8.2015

-262

संव्यवहार का व्यवहारी की पुस्तकों में इन्द्रांज होने एवम् व्यवहारी का दोषी मनोभाव सिद्ध नहीं होने पर वैट अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत आरोपित शास्ति राशि रू0 3708860/-को अपास्त किया गया। अपीलीय अधिकारी के इस आदेश दिनांक 13.08.2013 से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील पेश की गई जिसमें सिर्फ वैट अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत आरोपित शास्ति के अपास्ति के बिन्दु को विवादित किया गया है।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान विद्वान उपराजकीय अभिभाषक द्वारा वैट अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त की गई शास्ति को गलत बताते हुये कथन किया गया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने गलत तथ्यों के आधार पर आईटीसी क्लेम चाहा था, जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से शास्ति का आरोपण किया गया है। जबकि अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों के विपरीत जाकर आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के तहत आरोपित की गई शास्ति के अपास्ति के आदेश को निरस्त करते हुये विभाग की अपील स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी ने बहस के दौरान कथन किया कि व्यवहारी ने खरीद के सभी संव्यवहारों का इन्द्रांज बहियों में नियमित रूप से किया है तथा इसका पूरा विवरण तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्र व उसके साथ संलग्न वेट-8 में प्रदान किया गया। अग्रिम कथन किया कि व्यवहारी द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया जिसमें करापवंचन करने या गलत आईटीसी प्राप्त करने का उद्देश्य रहा हो। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2009) 23 वीएसटी 249 (एससी) का हवाला देते हुये अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

हस्तगत प्रकरण में व्यवहारी ने खरीद के सभी संव्यवहारों का इन्द्रांज नियमित बहियों में किया है तथा इसका पूरा विवरण तिमाही बिक्री विवरण प्रपत्र व उसके साथ संलग्न वेट-8 में प्रदान किया गया। व्यवहारी ने विभाग से कोई तथ्य छिपाया नहीं है।

इस प्रकरण के सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, श्रीगंगानगर बनाम मैसर्स दुर्गेश्वरी फूड लिमिटेड, श्रीगंगानगर के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के अवलोकन करना समीचीन है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों की विस्तृत विवेचना करते हुए राजस्थान वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति सम्बन्धी विधिक बिन्दु बाबत पैरा 22 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि:-

- 26/3


5.8.2015

22. However, as far as question of penalty u/s 61 of the Act is concerned, the imposition of the same by the Assessing Authority under Section 61 of the Act of 2003 to the extent of double the amount of tax is concerned, the same cannot be sustained and deletion of penalty in these circumstances, where a debatable question was agitated by the respondent-assessee before the appellate forums created under the Act, it cannot be said that the assessee deliberately filed wrong returns or particulars of taxable turnover or malafide claimed 100% input tax credit. A benefit of doubt in this regard certainly goes in favour of respondent-assessee."


उपर्युक्त विवचेनानुसार व्यवहारी द्वारा आई.टी.सी. का जो क्लेम पेश किया गया है उसके पीछे कर चोरी अथवा गलत आई.टी.सी. प्राप्त करने का कोई उद्देश्य निहित नहीं था। अतः माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत (2009) 23 वीएसटी 249 (एससी) एव माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 32 टैक्स अपडेट 03 के आलोक में, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वैट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति के आदेश को विधिक दृष्टि में सही नहीं कहा जा सकता। अतः अपीलीय अधिकारी का वैट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति के अपास्ति आदेश विधिसम्मत पाये जाने से इसकी पुष्टि की जाकर यथावत रखा जाता है।

परिणामतः अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।



(ईश्वरी लाल वर्मा)  
सदस्य



(बी के मीणा)  
अध्यक्ष